उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-471/सोलह-1-2010-1(03)/2010
लखनऊ : दिनांक : 16 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2010) की धारा-1 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 01 मई, 2010 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

संख्या-471(1)/सोलह-1-2010-1(03)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
(4) कुलपति, उ0प्र0प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(5) प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(6) प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(8) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
(9) क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कानपुर।
(10) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
(11) कुलसचिव, उ0प्र0प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसकी प्रतियां कराकर प्रदेश के समस्त निजी अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
(12) निदेशक/प्राचार्य, स्वायत्तशासी अभियंत्रण संस्थायें, उत्तर प्रदेश।

(13) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(14) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ।
(15) संसदीय कार्य अनुभाग-1 उ0प्र0सचिवालय
(16) विधि परामर्शी पुस्तकालय, उ0प्र0सचिवालय।
(17) भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0सचिवालय।
(18) विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0सचिवालय।
(19) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3
(20) व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग।
(21) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
(22) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(23) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना संख्या 471/सोलह-1-2010-1(03)/2010, दिनांक 16 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2010) (हिन्दी/अंग्रेजी) की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) से तत्काल मुद्रित कर उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

16/4/2010

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनुसचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
PRAVIDHIK SHIKSHA ANUBHAG-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 471/solah-1-2010-1(3)/09, dated 16 April, 2010

NOTIFICATION
No.471/solah-1-2010-1(3)/09
Lucknow Date 16 April, 2010

In exercise of powers under sub-section (2) of section 1 of the Uttar Pradesh Pravidhik Vishwavidyalaya (Sansodhan) Adhiniyam, 2010 (U.P. Act no. 05 of 2010) the Governor is pleased to appoint May 1, 2010 as the date on which the said Act shall come into force.

By order,

(Vrinda Sarup)
Principal Secretary

क्रम-संख्या—50

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0—91/2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 16 फरवरी, 2010

माघ 27, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 236/79–वि–1–10-1(क)-6-2010

लखनऊ, 16 फरवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 15 फ़रवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2010]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-

"(ज) "विश्वविद्यालय", का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है;"

धारा 3 और 4 का प्रतिस्थापन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेगी, अर्थात :-

"3-(1)-इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जिसे उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ होने के दिनांक से गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जायेगा।

(2)- उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, नोएडा में एक प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जिसे महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर के रूप में जाना जायेगा।

(3)-उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय में इस रूप में तत्समय पद धारण करने वाले कुलाधिपति, कुलपति, कार्यपरिषद तथा विद्यापरिषद के सदस्यों से मिलकर एक निगमित कार्यपरिषद तथा विद्यापरिषद के सदस्यों से मिलकर एक निगमित निकाय उस विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा।"

"4-(1)-इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की क्षेत्रीय अधिकारिता आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झाँसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, चित्रकूटधाम, बस्ती और विंध्याचल मण्डलों पर होगी।

(2)-इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की क्षेत्रीय अधिकारिता मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद मण्डलों पर होगी।

(3)-उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ होने के दिनांक को राज्य के मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद मण्डलों में प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यमान विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय गौतमबुद्ध नगर से सम्बद्ध हुआ समझा जायेगा और गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध या सहयुक्त नहीं रह जायेगा।"

धारा 17 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :-

"(1)-कार्यपरिषद में निम्नलिखित होंगे:-

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की या उसका नामनिर्देशिती, जो ज्येष्ठ आचार्य से निम्न पंक्ति का न हो;

(घ) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर या उसका नामनिर्देशिती, जो ज्येष्ठ आचार्य से निम्न पंक्ति का न हो;

(ङ) राज्य सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो;

(च) राज्य सरकार में वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्नपंक्ति का न हो;

(छ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, या उसका नामनिर्देशिती;

(ज) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित उद्योगपति;

(झ) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो ख्याति प्राप्त प्रौद्योगिकीविद्।

(ञ) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट विद्यालयों के दो प्राचार्य।"

धारा 20 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात:-

"(ख) राज्य सरकार में वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो; - सदस्य

(ग) राज्य सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो।" - सदस्य

नई धारा 40-क का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 40 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :-

"40-क उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम पर अस्थायी उपबंध

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ होने के दिनांक से इस अधिनियम, किसी नियमावली, परिनियमावली, अध्यादेश तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों के सांविधिक लिखतों के किसी संदर्भ को गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ का संदर्भ मान लिया जायेगा।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन 2000) के अधिनियमन उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के उन्नयन और विकास के लिये प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और राज्य में प्राविधिक शिक्षा दे रहे समस्त महाविद्यालयों और संस्थाओं को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन उक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है। उक्त विश्वविद्यालय से 589 महाविद्यालयों/संस्थाओं को संबद्ध किया गया है। यह अनुभव किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालयों/संस्थाओं को एक विश्वविद्यालय से प्रभावी रूप से नियंत्रित और विनियमित नहीं किया जा सकता है। राज्य में कार्यशील उक्त प्राविधिक महाविद्यालयों और संस्थाओं के समुचित और प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके नोयडा, गौतमबुद्धनगर में महामाया प्राविधिक

विश्वविद्यालय के नाम से दूसरे विश्वविद्यालय को स्थापित किये जाने और उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 236(2)/LXXIX-V-1-10-1(Ka)6-2010
Dated Lucknow, February 16, 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translatin of the Uttar Pradesh Pravidhik Vishwavidyalaya (Sansodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Govemor on February 15, 2010 :-

THE UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2010

(U.P. ACT No. 5 OF 2010)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (i) This Act may be called the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 2000

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (h) the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(h) "University" means a university established under section 3;"

Substitution of sections 3 and 4

3. *For* sections 3 and 4 of the principal Act, the following sections shall be *substituted,* namely:-

"3.(1) From the date of the commencement of this Act there shall be established a university by the name of the Uttar Pradesh Technical University which shall be called Gautam buddh Technical University, Lucknow from the date of commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2010.

(2) From the date of commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2010 there shall be established a Technical University at Noida to be known as the Mahamaya Technical University, Gautambuddh Nagar.

(3) The Chancellor, the Vice-chancellor, the members of the Executive Council and the Academic Council for the time being holding office as such in a University referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall constitute a body corporate by the name of that University."

"4. (1) The Gautambuddh Technical University, Lucknow shall in exercise of its powers under this Act have territorial jurisdiction over the Azamgarh, Allahabad, Kanpur, Gorakhpur, Jhansi, Devipatan, Faizabad, Bareilly, Lucknow, Varanasi, Chitrakutdham, Basti and Vindhyanchal Divisions.

(2) The Mahamaya Technical University, Gautambuddh Nagar shall in exercise of its powers under this Act have territorial jurisdiction over the Meerut, Saharanpur, Agra, Aligarh and Moradabad Divisions.

(3) Every college or institution other than an existing college, imparting technical education in Meerut, Saharanpur, Agra, Aligarh and Moradabad Divisions of the State on the date of the commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2010 shall, with effect from such date as may be notified in this behalf by the State Government, be deemed to be affiliated to the Mahamaya Technical University, Gautambuddh Nagar and shall cease to be affiliated to, or associated with, the Gautam buddh Technical University, Lucknow."

Amendment of section 17

4. In section 17 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(1) The Executive Council shall consist of :–

(a) the Vice-chancellor who shall be the chairman thereof;

(b) the Pro-vice-chancellor, if any;

(c) the Director Indian Institute of Technology, Roorkee, or his nominee not below the rank of senior professor;

(d) the Director Indian Institute of Technology, Kanpur, or his nominee not below the rank of senior professor;

(e) the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of Special Secretary;

(f) the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary;

(g) Chairman, All India Council for Technical Education or his nominee;

(h) two reputed Industrialists nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government;

(i) two eminent technologists nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government;

(j) two Principals of colleges, by rotation, nominated by the State Government."

Amendment of section 20

5. In section 20 of the principal Act, in sub-section (1) *for* clauses (b) and (c) the following clauses shall be *substituted*, namely:-

"(b) the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary. *Member*

(c) the Principal Secretary/Secretary to the State Government in the Technical Education Department or his nominee not below the rank of Special Secretary." *Member*

Insertion of new section 40-A

6. *After* section 40 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :

"40-A With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2010 any reference to the Uttar Pradesh Technical University in this Act, any rules, Statutes, Ordinance, statuary instruments of any law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as reference to Gautambuddh Technical University, Lucknow."

Transitory Provision on the name of the Uttar Pradesh Technical University

---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Technical University Act , 2000 (U.P. Act no. 23 of 2000) has been enacted to provide for the establishment of a Technical University in Uttar Pradesh for the advancement and development of Technical Education. The Uttar Pradesh Technical University has been established at I.E.T. premises, Sitapur Road, Lucknow under the said Act and all the colleges and institutions imparting Technical Education in the State have been affiliated to the said University under section 4 of the said Act. The colleges/institutions which have been affiliated to the said University are 589 in numbers. It has been felt that such a large number of colleges/institutions could not be controlled and regulated effectively by a single University. With a view to ensuring proper and effective control over the said technical colleges and institutions running in the State, it has been decided to amend the said Act to provide for the establishment of another Technical University at Noida in Gautambuddha Nagar by the name of Mahamaya Technical University, Gautambuddha Nagar and for changing the name of the Uttar Pradesh Technical University as the Gautambuddha Technical University, Lucknow.

The Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 1090 राजपत्र (हि0)-(2358)-2010-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 229 सा0 विधायी-(2359)-2010-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।